

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

आदेश

संचिका संख्या-4/आ0 वि0-03-1014/2017- 21 राँची,दिनांक- 16/11/18
लोकायुक्त के सचिव, लोकायुक्त का कार्यालय झारखण्ड, राँची के पत्रांक-5438
दिनांक-04.12.2017 में वर्णित तथ्यों पर विचारोपरान्त विभाग द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में
लोकायुक्त कार्यालय से प्राप्त अधियाचनाओं के त्वरित निष्पादन हेतु विभाग स्तर पर एक
लोकायुक्त कोषांग का गठन किया जाता है।

2. उप सचिव (स्थापना), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को लोकायुक्त
से प्राप्त अधियाचनाओं एवं निर्गत आदेश के अनुपालन हेतु लोकायुक्त कोषांग का नोडल
पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।


3. लोकायुक्त कोषांग का कार्य विभागान्तर्गत आरोप शाखा के कार्यवाह सहायक द्वारा
सम्पन्न किया जायेगा।

4. इस पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ज्ञापांक- 264

राँची,दिनांक- 16/11/18


प्रतिलिपि- मा0 विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / सचिव के प्रधान आप्त
सचिव/अभियन्ता प्रमुख /सभी मुख्य अभियन्ता/सभी उप सचिव/ सभी अधीक्षण अभियन्ता
(याँत्रिक सहित)/सभी अवर सचिव/सभी कार्यपालक अभियन्ता (याँत्रिक सहित) / मुख्यालय
के सभी पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक- 264

राँची,दिनांक- 16/11/18


प्रतिलिपि-श्री संजय कुमार, लोकायुक्त के सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, झारखण्ड,
राँची को उनके पत्रांक-01/लोक/विविध (01)/2017-5438 राँची,दिनांक-04.12.2017 के
आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के उप सचिव।


ज्ञापांक- 264

राँची,दिनांक- 16/11/18

प्रतिलिपि-श्री नितिन कुमार, राज्य समन्वयक (IT, PMU) पेयजल एवं स्वच्छता विभाग,
झारखण्ड, राँची को विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई
हेतु प्रेषित।


(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के उप सचिव।


(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के उप सचिव।


16/11/18